संख्या:235/XXIII-1/2023–4(3)/2023

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

आबकारी अनुभाग देहरादूनः दिनांक 29 मार्च, 2023

विषय :– उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023–24 के नियम–12.1 के बिन्दु संख्या–14 व नियम–12..2 के बिन्दु संख्या–11 में संशोधन एवं नियम–6.3 में विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु निकासी पर एम0जी0डी0 की गणना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–21482/ दिनांक 24 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023–24 के नियम–12.1 के बिन्दु संख्या–14 व नियम–12..2 के बिन्दु संख्या–11 में संशोधन एवं नियम–6.3 में विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु निकासी पर एम0जी0डी0 की गणना के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023–24 के नियम–12.1 के बिन्दु संख्या–14 व नियम–12.2 के बिन्दु संख्या–11 में त्रुटिवश अंकित विवरण को निम्नवत संशोधित किया जाता है–

क्र० सं०	उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023–24 में त्रुटिवश अंकित	संशोधन
12.1(14)	फुटकर विक्रेता का लाभांश (विदेशी मदिरा पर 20 प्रतिशत एवं बीयॅर/वाईन/ आर0टी0डी0 पर 15 प्रतिशत लागत मूल्य का) of 12^{th} point	फुटकर विक्रेता का लाभांश (विदेशी मदिरा पर 20 प्रतिशत एवं बीयॅर/वाईन/ आर0टी0डी0 पर 15 प्रतिशत लागत मूल्य का) of 13^{th} point
12.2(11)	लाभांश @ 20%of 9^{th} point	लाभांश @ 20% of 10^{th} point

3– उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023–24 के नियम–6.3 में उल्लिखित है कि "विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान हेतु निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एम०जी०डी०) की गणना हेतु दरें प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर होगी, परन्तु विदेशी मदिरा की एम0जी0डी0 की दरों का निर्धारण इस प्रकार से किया जायेगा कि प्रति बोतल उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मदिरा विक्रय मूल्य में लगभग रू0 20/– प्रति बोतल से अधिक का अन्तर न हो।" के सम्बन्ध में विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान हेतु निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एम०जी०डी०) की गणना हेतु दरें

प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर राजस्व हित में निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

क्र० सं०	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	एम०जी०डी० (प्रति बोतल) रू०में
1	रू0 50.00 तक	163
2	रू0 50.01 से रू0 60.00 तक	173
3	रू0 60.01 से रू0 75.00 तक	178
4	रू0 75.01 से रू0 90.00 तक	201
5	रू0 90.01 से रू0 120.00 तक	206
6	रू0 120.01 से रू0 150.00 तक	249
7	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	255
8	रू0 300.01 से रू0 500.00 तक	275
9	रू0 500.01 से अधिक	300

भवदीय,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव

संख्या:235/XXIII-1/2023/04-(03)/2023 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढवाल मण्डल , पौडी एवं कुमायू मण्डल नैनीताल।
4. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला आबकारी अधिकारी उत्तराखण्ड।
7. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव